



**उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,**  
हरिद्वार—249404  
*Website: www.ukpsc.gov.in*



(01334) 244143  
(01334) 244282  
07060002410

विज्ञापन संख्या :— A-1/E-2/APO/2021

दिनांक 03 अगस्त, 2021

**सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा, 2021**

**(Assistant Prosecution officer Exam- 2021)**

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	—	03 अगस्त, 2021
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	—	23 अगस्त, 2021 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
आवेदन शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	—	23 अगस्त, 2021 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)

**अति महत्वपूर्ण निर्देश :-**

1. अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79 / 2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं० (एस) 19532 / 2010 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
2. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 23 अगस्त, 2021 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में (Result Declaration Date) के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक—पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी।
3. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली—भाँति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र को सही—सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4. फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।
5. आयोग में ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों यथा:- पदनाम, अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, विषय, आयु एवं परीक्षा केन्द्र इत्यादि में किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन—पत्र एवं Net Banking/Debit Card/ Credit Card के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार्य होगा। अन्य किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन शुल्क

	स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा किये जाने की अन्तिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
7.	अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा के आयोजन हेतु नगरों की सूची के लिए <u>परिशिष्ट-01</u> , परीक्षा योजना के लिए <u>परिशिष्ट-02</u> , पाठ्यक्रम के लिए <u>परिशिष्ट-03</u> , आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु <u>परिशिष्ट-04</u> तथा न्यूनतम अर्हक अंक हेतु <u>परिशिष्ट-05</u> का अवलोकन करें।
8.	मुख्य परीक्षा (लिखित प्रकार) से पूर्व अर्ह अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्द्धता, अधिमानी अर्द्धता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा कराया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।
9.	अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा करना सुनिश्चित करें।
10.	प्रश्नगत परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट-05 पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को अपनी आरक्षण श्रेणी/उप-श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही मेरिट (MERIT) के आधार पर प्रवीणता-सूची हेतु विचारित किया जायेगा।
11.	प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा होने की दशा में अभ्यर्थियों को आंवित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा की तिथि की सूचना तथा मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व मुख्य व साक्षात्कार परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट <a href="http://www.ukpsc.gov.in">www.ukpsc.gov.in</a> तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायी जायेगी।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र (**Online Application**) आमन्त्रित किये जाते हैं।

02. रिक्तियों का विवरण :— सहायक अभियोजन अधिकारी पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 63 है। रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत है :—

ऊर्ध्वाधर आरक्षण का विवरण :—

क्रो सं०	विभाग	पदनाम	कुल रिक्त पद	श्रेणीवार विवरण				
				सामान्य	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग
01 .	अभियोजन विभाग (Prosecution Department)	सहायक अभियोजन अधिकारी (Assistant Prosecution officer)	63	31	13	01	12	06

क्षैतिज आरक्षण का विवरण :—

क्षैतिज आरक्षण	सामान्य	उत्तराखण्ड महिला	दिव्यांगजन	पूर्व सैनिक	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	अनाथ	कुल पद
अनारक्षित	17	09	01	02	00	02	31
अनुसूचित जाति	08	03	01	01	00	00	13
अनुसूचित जनजाति	01	00	00	00	00	00	01

अन्य वर्ग	पिछङ्गा 08	03	00	01	00	00	12
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	05	01	00	00	00	00	06

नोट:- उपरोक्त रिक्तियों के सापेक्ष दिव्यांग अभ्यर्थी हेतु चिन्हित श्रेणी OA, PB व PD निर्धारित है।

03. पद का स्वरूप :—राजपत्रित /स्थायी /अंशदायी पेंशनयुक्त (समूह—‘ख’)

04. वेतनमान् :— रु 44,900-1,42,400, (लेवल—7)

05. (1) शैक्षिक अर्हता :— किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता— अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने :—

(क) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘बी’ प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

06. आयु :— आयु सीमा न्यूनतम 21 से अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2021 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई 2000 के पश्चात् तथा 02 जुलाई, 1979 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

07. अधिकतम आयु सीमा में छूट :— विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय—समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट सम्बन्धी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) देखें।

08. उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी/उप श्रेणी की सूचना प्रदान करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

09. यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उप श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

10. आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें। निर्धारित प्रारूप विज्ञापन के परिशिष्ट-04 में उल्लिखित हैं।

11. राष्ट्रीयता :— सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केनिया, यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लें।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे के सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

स्पष्टीकरण:— ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा

सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

**12. चरित्र :-** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

**टिप्पणी—** संघ, सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

**13. वैवाहिक प्रास्थिति—** सेवा में नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक या अधिक पत्नी जीवित हो;

**14. शारीरिक स्वस्थता—** किसी अभ्यर्थी को सेवा के किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे चिकित्सा बोर्ड में उपस्थित होकर स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

**15. आरक्षण :-** उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनाथ अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा। ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) देखें।

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनाथ, पूर्व सैनिक, निःशक्त (विकलांग), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (डी०एफ०एफ०) तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(ख) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(ग) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के “परिशिष्ट-4” में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ मुख्य (लिखित) परीक्षा से पूर्व आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख “परिशिष्ट-4” में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर मुख्य (लिखित) परीक्षा से पूर्व ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

(घ) विकलांग आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की विकलांगता होना अनिवार्य है। जो भी पद विकलांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु आरक्षित हैं, उसी विकलांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

(ङ.) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ शासनादेश संख्या 133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009, दिनांक 16.03.2009 के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्यकर्मियों को ही अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या-124/XXX(2)/2020-53(01)/2001 दिनांक 22.05.2020 के प्रस्तर-8 के अनुसार पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संदर्भ में भारत सरकार के O.M. No. 36034/27/84-Estt. (SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after

availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease" का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में भी क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी। पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (Affidavit) अपने अन्य अभिलेखों के साथ मुख्य (लिखित) परीक्षा से पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग कार्यालय में जमा कराना होगा।

(च) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर दिया जायेगा।

(छ) आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्या—310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछ़ड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछ़ड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिये।

(ज) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 397/XXX(2)2019-30(2)/2019, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

(झ) शासनादेश संख्या: 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धांत परिशिष्ट-4 के साथ संलग्न है।

## 16. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :-

- (1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) या <https://ukpsc.net.in> पर जायें।
- (2) विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात <https://ukpsc.net.in> पर जाकर **MenuBar** में **How to Apply** लिंक पर क्लिक करें। **How to Apply** page पर Instructions for filling up online application form को सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात **Apply Now** बटन पर क्लिक करें।
- (3) **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात खुले **Registration** फॉर्म पर अपनी सही जानकारी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Continue** पर क्लिक करें। **Continue** पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी **Confirm Filled Information** फॉर्म पर प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा No, I want to change some details पर **Tick** कर **Edit Data** पर क्लिक करें एवं संशोधित detail भरने के पश्चात पुनः **Registration** फॉर्म **Submit** करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

(4) **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर Primary Registration पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered Mobile No** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर Click here to login के लिंक पर क्लिक करें।

(5) **Login** करने के पश्चात Educational Details पर क्लिक कर फॉर्म पर Post Information के अन्तर्गत Post Applying for में जिस पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं **Tick** करें। फॉर्म पर Educational Qualifications के अन्तर्गत सर्वप्रथम High School का विवरण भरें एवं **Add Education Details** पर क्लिक करें, भरा गया विवरण **Add Education Details** के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। इसी तरह Intermediate, Graduate L.L.B/B.A(L.L.B)/B.COM.(L.L.B.)/B.Sc.(L.L.B)/Bachelor of Legislation Law शैक्षिक अर्हताएं भरें। फॉर्म पर अन्य विवरण भर कर **Submit** पर क्लिक करें। उसके पश्चात **Upload Images** पर क्लिक कर **Photo, Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo, Signature** अपलोड होने के पश्चात फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा, घोषणा को **Tick** करने के बाद शुल्क जमा करने हेतु **Click here to Make Payment** पर क्लिक करें। **I Agree** पर **Tick** करने के पश्चात **Pay Now** पर क्लिक कर आवेदन शुल्क जमा करने की कार्यवाही पूर्ण करें। आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् **Print Application Form** पर क्लिक कर ऑनलाईन आवेदन—पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त करें।

(6) आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त आवेदन—पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। किन्तु इस दशा में रद्द किये गये आवेदन—पत्र का जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा। आवेदन रद्द (Cancel) करने के लिए **Cancel My Application** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात् एक नई विण्डो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् घोषणा को **Tick** कर **Proceed to Cancel** बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु **Back** बटन पर क्लिक करें। **Proceed to Cancel** पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाइल पर ३००१०००० प्राप्त होगा, जिसको कि **Enter OTP** वाली फील्ड्स पर दर्ज कर **Cancel Application** बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द (Cancel) करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के संबंध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं तो उन्हें संबंधित परीक्षा व आयोग द्वारा प्रस्तावित समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

**नोट:** (1) आवेदन शुल्क जमा किये जाने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन—पत्र में त्रुटि होने की दशा में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी **Email-Id/Mobile Number** एवं **Password** के माध्यम से **Login** करने के पश्चात् **Update Personal Information** पर क्लिक कर, **Personal Information**, **Update Educational Information** पर क्लिक कर, **Educational Qualification** एवं **Reload Images** पर क्लिक कर Photo, Signature एवं Documents को पुनः अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ई—मेल आईडी।

एवं मोबाइल नंबर को Edit/Update नहीं किया जा सकता। ऑनलाईन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी ukpschelpline@gmail.com पर ई—मेल कर सकते हैं।

(2) आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् आवेदन—पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(3) परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से जमा किया जा सकता है। (उक्त परीक्षा हेतु आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित 26.55/- रुपये है।)

(4) उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ अभ्यर्थियों हेतु कोई शुल्क देय नहीं हैं। परन्तु उक्त अभ्यर्थी को आवेदन—पत्र में डाटा भरने के बाद [Click here for Final Submission](#) पर क्लिक कर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। तत्पश्चात् आवेदन पत्र भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

**17. शुल्क** :— प्रश्नगत् परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है :—

क्र0सं0 (Sr. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन—शुल्क (Application Fees)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)	कुल शुल्क (Total Fees)
01.	अनारक्षित	रु0 150	रु0 26.55	रु0 176.55
02	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रु0 150	रु0 26.55	रु0 176.55
03.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रु0 150	रु0 26.55	रु0 176.55
04.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति	रु0 60	रु0 26.55	रु0 86.55
05.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति	रु0 60	रु0 26.55	रु0 86.55
06.	पूर्व सैनिक अभ्यर्थी	रु0 150	रु0 26.55	रु0 176.55
07	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	—
08	उत्तराखण्ड शारीरिक दिव्यांग (विषयवार चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग)	कोई शुल्क नहीं	रु0 26.55	रु0 26.55

**नोट** :— उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं उत्तराखण्ड महिला अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा—अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

**18. अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश** :—

(01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवानियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/ नियमावलियों/ मैनुअल्स/मार्ग—दर्शक सिद्धान्तों एवं समय—समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों हेतु Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 एवं प्रथम संशोधन—2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा

परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012 यथा संशोधन 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन) एवं 2016 (चतुर्थ संशोधन) आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।

(03) ऑनलाइन आवेदन—पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेख/प्रमाण—पत्र आयोग कार्यालय में मुख्य (लिखित) परीक्षा से पूर्व आयोग कार्यालय द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त किए जायेंगे। आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका—2019 के आलोक में सम्पन्न की जायेगी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैं:-

(i) यदि अभ्यर्थी द्वारा मुख्य (लिखित) परीक्षा से पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र/उपाधि प्रस्तुत नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(ii) अधिमानी अर्हता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में आवेदन को अपूर्ण मानते हुए अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(iii) यदि आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी होने परंतु उत्तराखण्ड राज्य की सेवा में लागू न होने/ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात का जारी होने के कारण स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(iv) यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में क्षैतिज आरक्षण का दावा किया गया है किन्तु आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात का जारी होने के कारण स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(v) यदि अभ्यर्थी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में आवेदन को अपूर्ण मानते हुए अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

अभ्यर्थी ध्यान रखें कि मुख्य (लिखित) परीक्षा के पूर्व तत्समय आवेदन—पत्र/प्रमाण—पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(04) रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु मुख्य (लिखित) परीक्षा के पूर्व प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित करायी जा सकती है। प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के माध्यम से मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्रमाण—पत्रों का आयोग द्वारा सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता

पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त करते हुए मुख्य (लिखित) परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(05) अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु प्रवेश—पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) पर प्रसारित की जायेगी।

(06) यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की ई—मेल [ukpschelpline@gmail.com](mailto:ukpschelpline@gmail.com) पर संपर्क कर सकते हैं।

(07) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत ‘अनापत्ति प्रमाण—पत्र’ अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।

(08) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, स्क्रीनिंग परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा में बुलाये जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को स्क्रीनिंग परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा के लिए बुलाये जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता है। स्क्रीनिंग/प्रारम्भिक परीक्षा कराये जाने की दशा में एक सामान्य अध्ययन तथा विधि (Law) की वस्तुनिष्ठ प्रकृति का प्रश्नपत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी। स्क्रीनिंग परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(09) स्क्रीनिंग/प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) उत्तराखण्ड राज्य के हल्द्वानी (नैनीताल), हरिद्वार, देहरादून, श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल), अल्मोड़ा एवं ऊधमसिंह नगर जिला (अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर केवल हरिद्वार) के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी।

(10) गलत उत्तरों के लिए दण्ड – वस्तुनिष्ठ प्रश्न—पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा।

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) किसी भी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, भले ही उनमें से कोई उत्तर सही न हो तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा तथा इस हेतु दण्ड स्वरूप संबंधित प्रश्न का एक चौथाई अंक काटा जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(11) प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति—प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क ₹0 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो वैसे अभ्यर्थी द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

(12) प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।

(13) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

(14) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित – कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(15) परीक्षा केन्द्र में आचरण – कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर-पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

(16) अँगूठे का निशान (Thumb Impression) – सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बायें अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(17) प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा (यदि आयोजित होती है तो) में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों की संख्या के सापेक्ष नियमानुसार अभ्यर्थियों को मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जायेगा। प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक, अंतिम चयन परिणाम में मुख्य (लिखित) परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा के अंकों के साथ नहीं जोड़े जायेंगे तथा अंतिम चयन परिणाम मुख्य (लिखित) परीक्षा व साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर नियमानुसार (आरक्षण आदि का लाभ देते हुए) घोषित किया जायेगा। प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) पर प्रदर्शित कराया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी।

(18) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, वैसी दशा में ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(19) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा अनर्ह होने अथवा नियमों,

प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन—पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(20) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश—पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अहं नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(21) हाईस्कूल प्रमाण—पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(22) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन—पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जायेगा एवं आवेदन शुल्क Net Banking/Debit Card/ Credit Card के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(23) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules- 2013 यथा संशोधित –2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(24) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:- अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें अथवा जाली प्रलेख प्रस्तुत नहीं करें। यदि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति पायी जाती है तो इस विसंगति के संबंध में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

(25) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा:-1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ०००५००५००० उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कुटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बात लिखना, जो

अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (ग) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (घ) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ङ) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (च) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (छ) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

**(26)** आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

**(27)** यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

**(28)** आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।

**(29)** अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) का समय-समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

**(30)** सम्बन्धित पदों हेतु परीक्षा/चयन परिणाम संगत सेवा नियमावली में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा तथा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

**(31)** अभ्यर्थी प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा के दौरान, अपने ॲनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित आई0डी0 अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उक्त आई0डी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

**(32)** अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारूपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

-Sd-  
(कर्मन्द्र सिंह)  
सचिव

## परिशिष्ट-1

सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2021 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रारम्भिक / स्क्रीनिंग (वस्तुनिष्ठ प्रकार) की परीक्षा का आयोजन निम्न नगरों में कराया जाना प्रस्तावित हैः—

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र के सम्बन्धित कॉलम में परीक्षा केन्द्र के लिए नगर हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत करें—

S.No.	Center	City Code
01	Haldwani	01
02	Haridwar	02
03	Dehradun	03
04	Srinagar (Pauri Garhwal)	04
05	Almora	05
06	Udhamsingh Nagar	06

नोट— अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर ही आयोग द्वारा परीक्षा केन्द्र आवंटित किये जायेगें। केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के किसी भी अनुरोध को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।

## परिशिष्ट-2

### सहायक अभियोजन अधिकारी पद हेतु परीक्षा योजना

- 1. प्रारम्भिक परीक्षा:** (वस्तुनिष्ठ प्रकार)  
**2. मुख्य परीक्षा:** (अ)– (लिखित परीक्षा)  
(ब)– (व्यक्तित्व परीक्षा)

#### 01. प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

प्रश्न पत्र	विषय	अधिकतम अंक	प्रश्नों की संख्या	समय (घण्टे)	परीक्षा का स्तर
I	सामान्य अध्ययन (General Studies)	100	100	01:30	सामान्य
II	विधि (Law)	100	100	01:30	विधि स्नातक
	कुल अंक	200			

**नोट:-** (1) परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने पर ही आयोग द्वारा प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा आयोजित की जायेगी।  
(2) मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए अहता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों को अन्तिम योग्यता क्रम का निर्धारण करने के लिए मुख्य परीक्षा (लिखित) के प्राप्तांकों के साथ नहीं जोड़ा जायेगा।

#### 2. मुख्य परीक्षा :- (अ) लिखित परीक्षा

प्रश्न—पत्र संख्या	विषय	अधिकतम् अंक	समय (घण्टे)	प्रश्नों की संख्या	परीक्षा का स्तर	टिप्पणी
I	सामान्य अध्ययन (General Studies)	100	03.00	10	सामान्य	
II	सामान्य हिन्दी (General Hindi)	100	03.00	14	हाई—स्कूल	न्यूनतम 35 अहक अंक प्राप्त करने होंगे।
III	Law-I (Criminal Law and Procedure with Police Act	100	03.00	10	विधि स्नातक	
IV	Law-II Evidence Act	100	03.00	10	विधि स्नातक	
	कुल अंक	400				

- नोट—** (1) मुख्य परीक्षा (लिखित) में आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही मेरिट के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षा/साक्षात्कार के लिए आहूत किया जायेगा।  
(2) मुख्य परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर (सामान्य हिन्दी के प्रश्न—पत्र को छोड़कर) हिन्दी अथवा अंग्रेजी में दिया जा सकता है।

**(ब). व्यक्तित्व परीक्षा:-** (साक्षात्कार) 50 अंक (कोई न्यूनतम अंक नहीं)।

- नोट:-** (1) अभ्यर्थी को साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक होगा।  
(2) मुख्य परीक्षा का कुल योग **450** होगा।

## परिशिष्ट-3

सहायक अभियोजन अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा का पाठ्यक्रम

### **Syllabus for Assistant Prosecution officer (APO) Preliminary Examination**

**There will be two papers in preliminary examination.**

#### **Paper-1 General Studies**

**Time – 01:30 hrs**

**M.M 100**

#### **Total number of questions 100 in General Knowledge (Objective Type)**

The paper on General Knowledge will include the following topics, besides day to day happenings around India and the world. Candidates are expected to have general awareness about the following:

- (a) General Science
- (b) Current events: National and International
- (c) History of India
- (d) Indian National Movement and Indian Polity
- (e) Geography and Indian Economy
- (f) Art, Culture and Traditions of Uttarakhand
- (g) Revenue Police System and general administrative set up in Uttarakhand
- (h) Forest, Crops, Tribes, Mountains, Rivers of Uttarakhand.

**Questions on General Science:** Will cover elementary Knowledge & understanding of science including matters of everyday observation and experiences, basic laws of science, questions pertaining to environmental factors, natural resources, food crops, biosphere, human diseases, flora and fauna, national parks and wildlife of Uttarakhand will also be included.

**Current events:** Day to day happenings in India and around the world, which will also include significant events including sports.

**History Of India:** Emphasis should be on broad understanding of social, economic and political aspects of India.

**Indian National Movement:** The candidate should be aware of the Freedom Movement, Growth of Nationalism and attainment of Independence.

**Indian Polity (Post Independence):** Questions will test Knowledge of country's political system including Panchayati Raj and Community Development.

**Geography and Indian Economy:** Only general understanding of the subject will be expected.

**Culture and Traditions of Uttarakhand:** The candidate should be aware of the culture and traditions, especially of tribes of Uttarakhand.

#### **Revenue Police and special administrative system of Uttarakhand:**

Power and functions of Patwaries, Kanoongos and Naib Tahsildars etc. Panchayati Raj system, Van-Panchayat System. Candidates should be aware of types of forests, rotation of crops, cultural festivals, prominent holy places, glaciers and mountains, natural resources and calamities, rivers & lakes as well as prominent personalities of Uttarakhand.

**Total number of questions 100 On Law (Objective Type)**

It will cover the following with the number of questions indicated as under

Topics	No. of questions
1. The Indian Penal Code	35
2. The Indian Evidence Act	25
3. The Code of Criminal Procedure	25
4. The Uttarakhand Police Act, 2007	15

**Total: 100**

**The Indian Penal Code, 1860:**

- i) General Exceptions
- ii) Joint and Constructive Liability
- iii) Abetment
- iv) Criminal Conspiracy
- v) Offences against Public Tranquility
- vi) Offences against human body: Culpable homicide and murder including causing death by negligence; hurt and grievous hurt; wrongful restraint and wrongful confinement; criminal force and assault; kidnapping and abduction.
- vii) Offence against women: sexual offences; offences relating to marriage, cruelty by husband or relatives of husband; insult to modesty of a woman and dowry death.
- viii) Offences against property: Theft, Extortion, Dacoity, Robbery, Criminal Misappropriation, Cheating, Mischief and Criminal Trespass.
- ix) Attempts to commit offences.

**The Indian Evidence Act:**

- i) Relevancy of facts: Definitions, Relevancy of facts, Admission & Confession, Dying Declaration, Opinion of third persons when relevant.
- ii) Facts which need not be proved: Oral and documentary evidence, Exclusion of oral by documentary evidence, Public documents and presumption as to documents.
- iii) Production and effect of evidence: Burden of proof, Estoppel, Witnesses including their examination.

**Criminal Procedure Code, 1973**

Constitution, Powers and jurisdictions of Criminal Courts; Arrests, Power to compel appearance of persons and production of things; Maintenance of public order and public tranquility; Initiation and commencement of proceedings before Magistrate; Framing of charges; Trial of cases; Judgment; Evidence in enquiries and trials; Bail and Bonds; Reference, Revision and Appeal.

**The Uttarakhand Police Act, 2007**

- i) Powers, functions and duties of various police officers under the aforesaid Police Act.
- ii) Duties of Officer-In-Charge of police station regarding reports made at police stations; Investigation, Arrest, Bail and Custody and Execution of processes.
- iii) Powers, functions and duties of Public Prosecutors and their sub-ordinates.

## Syllabus for Main Examination

### Paper- I General Knowledge

Time: 03:00 hrs

M.M. 100 Marks

The following topics will be included-

**General Science-** Will cover elementary knowledge & understanding of science including matters of everyday observation and experiences, basic laws of science, Conventional and non-conventional energy resources, human diseases: source and type of diseases, communicable & non communicable diseases prevention and control measures of born diseases such as AIDS, TB, Jaundice, Typhoid etc.

**Natural Resources:** Water, Soil Minerals, Flora, Fauna, Farming systems in Uttarakhand and other Natural and Energy resources of the State.

**Environment:** Global warming, Green house effect, Natural disasters, Pollution, Wildlife sanctuaries in Uttarakhand and Different environmental movements in the Uttarakhand state (such as Chipko, Nadi Bachao Andolan etc.)

**Current Events:** National and International, including sports.

**History Of India & Indian National Movement:** Indus valley civilization, Vedic Age, Ashoka, Harsh Vardhan, Delhi Sultanate, Mughal Period, Entry of European powers, Revolt of 1857, Establishment of Indian National congress, Non-co-operation Movement, Civil disobedience movement Quit India Movement, Indian Independence, Role of Uttarakhand in Freedom Struggle, Cultural History of Uttarakhand, Fairs, Festivals, Religious Practices, Holy places and shrines.

**Geography:** Rotation and revolution of the earth, mountains and rivers, Climate and vegetation zones of the world, relief and drainage systems, climate, vegetation and irrigation systems of India, including major irrigation projects.

#### **India Polity (Post Independence)**

- Integration of princely states, reorganization of states, regional aspirations and formation of new states (With special reference to Uttarakhand)
- Framing of the Constitution of India, aims and objectives, democracy, socialism, Secularism and National integration.
- **Main features of the constitution:** Organs of government and their functioning; governance at the centre, state and local levels (including tribal, panchayat patwari system and van panchayat); Centre-state relations; Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles of state policy.
- **Functioning of Indian Democracy:** Universal Adult Franchise, Public Opinion, Elections, Political parties and Pressure groups (with reference to Uttarakhand).
- **Indian Economy:** Basic features of Indian economy, population, agriculture and allied activities, industry, Infrastructure, Financial sector, labor and employment, Economic planning and Economic reforms since 1991, W.T.O. Development of I.T., Ayurved, Tourism and Vipran in the Uttarakhand. New development schemes of the State

#### **Computer**

Basic Knowledge of computer and its application and cyber Crimes.

## Paper-II General Hindi (सामान्य हिन्दी)

समयः— 03:00 घण्टे	पूर्णांक—100
क्र.सं. विषय	अंक विभाजन
1. निबन्ध (लगभ 300 शब्दों में)	15
2. अपठित गद्यांश—	
(क) गद्यांश का भावार्थ	03
(ख) रेखांकित वाक्य—बन्धों का आशय	05
(ग) गद्यांश का सटीक शीर्षक	02
3. संक्षेपण / सारांश (दिये गये अंश का सार)	05
4. टिप्पण / प्रारूपण	05
5. पर्यायवाची / विलोम	05
6. समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द / विराम चिन्हों की शुद्धि	05
7. हिन्दी से अंग्रेजी / अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद	10
8. शब्द समूहों के लिए एक शब्द	05
9. उपसर्ग / प्रत्यय	05
10. अंग्रेजी की विधिक पारिभाषिक शब्दावली का हिन्दी रूपान्तरण	05
11. अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना / अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना	05
12. मुहावरे व लोकोक्तियों का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग	05
13. कार्यालयी पत्र लेखन : शासनादेश, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अनुस्मरण, अधिसूचना, कार्यालय—ज्ञापन, पृष्ठांकन, प्रेस विज्ञाप्ति, ई—मेल द्वारा प्रपत्र प्रेषण।	10
14. कम्प्यूटर का कार्यालयी प्रयोग	10

## Paper III (Law-I)

### Law-I (Criminal Law and Procedure with police Act)

**Time: 03:00 hrs**

**Max Marks : 100**

1. The syllabus of this paper shall be divided in three parts viz, Part ‘A’, ‘B’ and ‘C’ as demarcated below.
2. Ten questions in all shall be set, out of which the first question [Consisting of five sub-questions to be selected from the entire syllabus and requiring short answers] shall be compulsory. Each such short-answer type question shall carry 4 marks and will be answered in about 100 words.
3. Of the remaining nine questions, three questions from each part shall be set. The candidate shall be required to attempt at least one question from each part, namely Part ‘A’ ‘B’ and ‘C’
4. All questions shall carry equal marks i.e. 20 Marks each. In all five questions are to be attempted.

## **Part- A**

### **The Indian penal Code, 1860 :**

- i) General Exceptions
- ii) Joint and Constructive Liability.
- iii) Abetment.
- iv) Criminal Conspiracy.
- v) Offences against Public tranquility.
- vi) Offences against human body: culpable homicide and murder including causing death by negligence; Hurt and grievous hurt; Wrongful restraint and Wrongful confinement; Criminal force and assault; Kidnapping and Abduction.
- vii) Offence against Women: Sexual offences; Offences relating to marriage, Cruelty by husband or relatives of husband; insult to modesty of a woman and Dowry death.
- viii) Offences against Property: Theft, Extortion, Dacoity, Robbery, Criminal misappropriation, cheating, Mischief and Criminal Trespass.
- ix) Attempts to commit offences.

## **Part- B**

### **Criminal Procedure code, 1973**

Constitution, powers and jurisdictions of criminal courts; arrests, power to compel appearance of persons and production of things; Maintenance of public order and public tranquility; Initiation and commencement of proceeding before Magistrate; Framing of charges; Trial of cases; Judgment; Evidence in enquiries and trials; Bail and Bonds; Reference, Revision and Appeal.

## **Part- C**

### **The Uttarakhand Police Act, 2007**

- i) Powers, functions and duties of various police officers under the Police Act.
- ii) Duties of Officer-In-Charge of Police Station regarding reports made at police stations; Investigation, Arrest, Bail and Custody and Execution of processes.
- iii) Powers, functions and duties of Public Prosecutors and their sub-ordinates.

## **Paper- IV (Law Paper-II) Evidence Act**

### **Times: 03:00 hrs**

### **Max Marks : 100**

1. The syllabus of this paper shall be divided in three parts viz, Part ‘A’, ‘B’ and ‘C’ as demarcated below.
2. Ten questions in all shall be set, out of which the first question [Consisting of five sub-questions to be selected from the entire syllabus and requiring short answers] shall be compulsory. Each such short-answer type question shall carry 4 marks and will be answered in about 100 words.
3. Of the remaining nine questions, three questions from each part shall be set. The candidate shall be required to attempt at least one question from each part, namely Part ‘A’ ‘B’ and ‘C’
4. All questions shall carry equal marks i.e. 20 Marks each. **In all five questions are to be attempted.**

**Part ‘A’: Relevancy of facts:** Definitions, Relevancy of facts, Admission & Confession, Dying Declaration, Opinion of third persons when relevant.

**Part ‘B’: Facts which need not be proved:** Oral and documentary evidence, Exclusion of oral by documentary evidence, Public documents and presumptions as to documents.

**Part ‘C’: Production and effect of Evidence:** Burden of proof, Estoppel, Witnesses including their examination.

### **Personality Test**

### **50 Marks**

## परिशिष्ट-04

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।  
प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम .....  
..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड  
के राज्य की ..... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला .....  
..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर .....

दिनांक : पूरा नाम .....

पदनाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी

मजिस्ट्रेट/उप जिला  
मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज  
कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र  
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम .....  
..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड की .....  
..... जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि  
समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि  
उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी  
गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा अथवा  
उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला  
..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर .....

दिनांक : पूरा नाम .....

मुहर : पदनाम .....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/  
उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण—पत्र  
शासनादेश संख्या 4/23/1982—2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997  
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)  
प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी .....  
सुपुत्र/ पत्नी/ सुपुत्री ..... निवासी ग्राम .....  
.....तहसील ..... नगर ..... जिला .....  
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/ श्रीमती/ कुमारी(आश्रित) .....  
..... पुत्र/ पुत्री/ पौत्र/ अविवाहित पौत्री उपर्युक्त अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती/ (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान : हस्ताक्षर .....

दिनांक : पूरा नाम.....  
पदनाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी .....

(सील) .....

## निःशक्तता प्रमाण—पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या – .....

तारीख .....

निःशक्तता प्रमाण — पत्र

चिकित्सा बोर्ड के  
अध्यक्ष द्वारा विधिवत  
प्रमाणित उम्मीदवार  
का हाल का फोटो  
जो उम्मीदवार की  
निःशक्तता दर्शाता  
हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कु0 .....  
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री .....आयु..... लिंग..... पहचान चिन्ह.....  
.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्ठीय पक्षाधात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बांहें (बी एल ए) – दोनों टांगें और दोनों बांहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बाया)

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विघ्रम (अटैकिसस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विघ्रम (अटैकिसस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

(i) बी – अंधता

(ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी-बधिर

(ii) पी डी – औंशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। .....वर्षों ..... महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। \*
3. उनके मामले में निश्चितता का प्रतिशत ..... है।
4. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:-

- (i) एफ—अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।  
हॉ/नहीं
- (ii) पी पी—धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।  
हॉ/नहीं
- (iii) एल—उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।  
हॉ/नहीं
- (iv) के सी—घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।  
हॉ/नहीं
- (v) बी—झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।  
हॉ/नहीं
- (vi) एस—बैठ कर कार्य कर सकते / सकती हैं।  
हॉ/नहीं
- (vii) एस टी—खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।  
हॉ/नहीं
- (viii) डब्लू—चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं।  
हॉ/नहीं
- (ix) एस ई—देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।  
हॉ/नहीं
- (x) एच—सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।  
हॉ/नहीं
- (xi) आर डब्लू—पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।  
हॉ/नहीं

(आ0.....)

सदस्य  
चिकित्सा बोर्ड

(आ0.....)

सदस्य  
चिकित्सा बोर्ड

(आ0.....)

सदस्य  
चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/  
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित  
(मुहर सहित)

\* जो लागू न हो काट दें।

शासनादेश संख्या: 374(1) / xxx(2) / 2019–30(5) / 2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019  
के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के  
संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धांत :-

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomoter disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात) से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत परिशिष्ट-4(1) प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट-4(1) की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित परिशिष्ट-4(2) की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट-4(1) की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित परिशिष्ट-4(2) की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट-4(1) प्रमाणपत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।
4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा(प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।
6. कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं हेतु विकलांगता धारित अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व कम्प्यूटर सिस्टम के निरीक्षण की सुविधा दी जाएगी। आयोग द्वारा अभ्यर्थी को कम्प्यूटर परीक्षा हेतु स्वयं का केवल की-बोर्ड तथा माउस लाने की अनुमति दी जाएगी।

7. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।
8. जिन परीक्षाओं में केलकुलेटर की सुविधा अनुमन्य होगी उन परीक्षाओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को talking calculator की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी के मध्य संचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे (tailor frame, Braille slate, abascus, geometry kit, communication devices etc.) भी परीक्षा हेतु अनुमन्य होंगे ;उपरोक्त सभी उपकरण अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाये जायेंगे।
9. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू—तल के निर्धारित परीक्षा—कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

सचिव

**Certificate regarding physical limitation in an examinee to write**

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs ----- (name of the candidate with disability), a person with ----- (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o -----, a resident of ----- (Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health care institution

Name & Designation

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place:

Date:

**Note:** Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg.Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability Orthopedic specialist/PMR)

**Letter of Undertaking for using own Scribe**

I -----, a candidate with ----- (name of the disability) appearing for the ----- (name of the examination) bearing Roll No. ----- at ----- (name of the centre) in the District ----- (name of the State). My qualification is -----.

I do hereby state that ----- (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is -----. In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:

Date:

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2019/19(I)/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या..... वर्ष..... हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
पुत्र/पत्नी/पुत्री..... ग्राम/मुहल्ला.....  
पोस्ट ऑफिस..... जिला..... पिन कोड.....  
उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है।  
इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष..... की औसत आय आर्थिक रूप से  
कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख (रुपये आठ लाख) से कम है और इनका  
परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :-

- (I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
- (II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
- (III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
- (IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..... जो कि..... जाति से हैं  
और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा  
वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर  
नाम.....  
पदनाम.....

आवेदक का नवीनतम  
पासपोर्ट साइज का  
प्रमाणित फोटो

## परिशिष्ट-05

**सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा— 2021 के विभिन्न चरणों हेतु न्यूनतम् अर्हकारी अंक :—**

अनारक्षित वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रश्नगत परीक्षा में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012, 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन) एवं 2016 (चतुर्थ संशोधन) एवं मा० आयोग के निर्णय दिनांक 26 जून, 2019 के द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम् अर्हक अंक अंक प्राप्त करना अनिवार्य हैः—

क्र. सं.	आरक्षण की श्रेणी	मुख्य / लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम् अर्हक अंक प्रतिशत में।	सम्पूर्ण प्रवीणता—सूची तैयार किये जाने परीक्षा (लिखित परीक्षा) एवं साक्षात्कार) में निर्धारित न्यूनतम् अर्हक अंक (प्रतिशत में)
1	अनारक्षित एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	40%	45%
2	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	35%	40%
3	अनुसूचित जाति श्रेणी/अनुसूचित जनजाति श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	30%	35%
4	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	35%	40%

**नोट—** सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम् अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जायेगा।